HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. A/4562 Jabalpur, dated 24.11.2016.

The Circular of the Government of M.P., Finance Department F.No. F 4-2/2016/Niyam/IV, Bhopal, dated 05.11.2016 is forwarded to all the District and Sessions Judges in the State for being further circulated to all the Judges of the District Judiciary, working in the territory of their jurisdiction.

24.11.2016

(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 05 नवम्बर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन ।
संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 5 सितम्बर 2012.

--o--

राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों एवं देय भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा किया गया है।

2/ वर्ष 2012 के पश्चात मंहगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित आदेश को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) <u>कर्मचारियों/अधिकारियों का वर्गीकरण</u> - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी	ग्रेड वेतन
ए	₹ 7600 एवं अधिक
बी	₹ 6600 एवं अधिक पर ₹ 7600 से कम
सी	₹ 4200 एवं अधिक पर ₹ 6600 से कम
डी	₹ 2400 एवं अधिक पर ₹ 4200 से कम
ई	₹ 2400 से कम

(2) <u>वाहन भत्ता</u> - ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकटस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वंय के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिये उन्हें नियामानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

(₹ प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से.	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
201 से 300	925	375
301 से 450	1400	500
451 से 600	1700	625
601 से 800	2000	750
800 से अधिक	2500	850

(3) दैनिक भत्ता - यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30), मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55-ए अनुसार) को समेकित किया गया था । समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये विशेष दर .	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर .
1	2	3	4
ए	250	375	500
बी	200	300	400
सी	150	225	300
डी	125	185	250
इ	85	130	175

(4) यात्रा के साधन - लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु निम्नानुसार पात्रतायें निर्धारित की जाती है :-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
1	2	3	4
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011/नियम/चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600 या अधिक है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे । माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास /बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी ।

(5) **मील भत्ता** - पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वंय के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में
1	2	3	4
1.	ए श्रेणी के ₹ 7600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हे शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	6/-	12500/-
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	2.50/-	2500/-
3.	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	1.25/-	600/-

(6) **ठहरने की पात्रता** - यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली,मुम्बई, कोलकत्ता, चैन्नई, बैंगलोर,हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के(कॉलम 2 को छोड़कर) स्थानों में होटल में ठहरने पर .	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर/ महानगर में मित्र / रिश्तेदार के वहां ठहरने पर	म.प्र.पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिये पात्रता
1	2	3	4	5	6
ए	5000	3750	2500	500	ए.सी.डीलक्स कक्ष/ ए.सी.कक्ष
बी	3750	2800	1875	450	ए.सी.कक्ष
सी	2500	1875	1250	375	-
डी	1250	925	625	300	-
ई	625	475	300	250	-

टीप-उक्त तालिका के कॉलम-6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपरोक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा । श्रेणी 'सी','डी' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवार पर ए.सी.कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जाएगी ।

(7) **प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -**

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि. (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
1	2	3	4
1	ए	1500	325
2	बी	1000	250
3	सी	625	185
4	डी	375	125
5	ई	185	60

(8) **स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन** - शासकीय सेवक के जनहित में स्थानांतरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	25
2	"सी" एवं "डी"	15
3	"ई"	10

(9) **स्थानान्तरण अनुदान** - शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
1	ए	3750
2	बी	3000
3	सी	2250
4	डी	1500
5	ई	1125

3/ यह आदेश दिनांक 01-11-2016 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा ।

4/ मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में यथाआवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

http://www.finance.mp.gov.in